Speed Post No.-EF397745127.

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन पटना -800022

अधिसूचना

दिनांक-04.03.2014

संख्या-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (I) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी1-03/11-1413, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार की अधिसूचना संख्या-बी.एस.यू.-41/2013-1866/जी.एस(I), दिनांक 19.08.2013 द्वारा गठित परिनियम समिति द्वारा समर्पित प्रारूप परिनियम, उक्त प्रारूप परिनियम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से प्राप्त मंतव्य एवं तत्पश्चात् शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी1-03/11-381, दिनांक 24.02.2014 के माध्यम से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, यथा अद्यतन संशोधित, की धारा 36(7) में निहित शक्तियों के अधीन, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान/पद संवर्ग निर्धारित करने के साथ-साथ इनकी प्रोन्नति हेतु अलग-अलग तीन परिनियमों (प्रतिलिपि संलग्न) को अनुमोदित करने की कृपा की गयी है।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (I), दिनांक-04.03.2014

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ-

1. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
2. कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3. कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
4. कुलपति, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
5. कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
7. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
8. कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
9. कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
10. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 4/3/14

राज्यपाल के प्रधान सचिव

अनु०-यथा उपर्युक्त (कुल 149 पृ०)

अनुलग्नक संख्या-1

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान/पद संवर्ग निर्धारित किये जाने से संबंधित परिनियम:-

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 34 एवं 36 के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों से संबंधित परिनियमों में अंकित प्रावधानों में किसी अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए, राज्य के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेतर पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सामान्य सेवा परिनियम :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :

यह परिनियम 'विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध इकाइयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति/ प्रोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया के लिए विहित परिनियम के नाम से जाना जाएगा तथा यह कुलाधिपति की सहमति की तिथि से लागू समझा जायगा।

2. परिभाषाएँ :

इस परिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इस परिनियम में अंकित शब्दों की परिभाषा वहीं मानी जायेगी जो नीचे परिभाषित किया जा रहा है :-

(i) 'अधिनियम'- से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 ।

(ii) 'यू०जी०सी०' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(iii) 'धारा' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराएं;

(iv) 'नियमन' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित नियमन;

(v) 'अनुच्छेद' से अभिप्रेत है, इस परिनियम का अनुच्छेद;

(vi) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ।

(vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ।

(viii) 'विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों स्नातकोत्तर विभागों एवं संस्थानों के शिक्षकों से अलग विश्वविद्यालय के कर्मचारी।

(ix) 'महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों से भिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारी।

(x) 'परिवेक्षण' से अभिप्रेत है, इन परिनियम में निर्दिष्ट किसी पद पर परिवेक्षण पर नियुक्त कोई कर्मी।

ह० के० सिंह सचिव.

Sch. III-5

Date of Order	ORDER WITH SIGNATURE	Office notes as to action (if any) taken on order

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
C.W.J.C. No.1918 of 2000
Bhagirath Kumar Singh, V. The Veer Kunwar Singh and others. University & ors.

For the petitioner: Mr. Rajendra Prasad Singh Sr. Advocate.
Mr. Chakradhari S. Singh
Mr. Shantanu Kumar
For the intervenor: Mr. Ganesh Prasad Singh Sr. Advocate
For the State : Mr. Azfar Hasan, S.C.VII
For the University: Mr. S.P. Singh

---

17. ~~8-4-2002~~ 4-4-2003

The present application has been filed for quashing the notification dated 29.1.2000 whereby the petitioners who were working in the University Office of the Veer Kunwar Singh University, Ara (hereinafter referred to as the University) and whose services are claimed to have been absorbed by the University after being endorsed by the syndicate of the University, were sent back to the constituent colleges under the University from where they were brought to the University Office(Head Quarter).

The contention of the petitioners is that the aforesaid notification has been issued without approval of the syndicate and at the instance of the present acting Vice Chancellor (Respondent No.2) of the University.

The present application has been pressed ~~placed~~ only on behalf of petitioner nos. 2 to 12 and the name of petitioner no.1 has been prayed for to be deleted as he has already been appointed as the Finance Officer of the University. The said prayer was allowed by order dated 7.8.2002.

Singh University, Ara has duly been authorised under the University Act and as such, the aforesaid order, as contained in Annexure-10, cannot be challenged on the ground of jurisdiction. In this regard sections 9 and 10 of the Universities Act have been relied upon.

An intervention petition has also been filed by the apportioned employees from the Magadh University who had been posted in the Veer Kunwar Singh University after being apportioned from the Magadh University. The stand taken by the intervenors is more or less the same as that of the University. The only further relief ,which has been claimed, is that they are the apportioned employees from the parent Magadh University to the Veer Kunwar Singh University,Ara and are working on sactioned posts. Their salary has already been released by the State Government . As such, the University be directed to pay them their salary and not pay part therefrom to the employees on deputation.

Learned counsel for the State has fully supported the stand of the University stating therein that the deputationist does not have any right. Their cadre is in the college or department where they have been appointed on vacant sanctioned posts rather it has been contended that the employees of the University

Press, Patna-20—10,000

C. Sch. III (-5)

Serial No. of Order	Date of Order	ORDER WITH SIGNATURE	Office notes as to (if any) taken on order

and have been repatriated to their parent college to the cadre to which they belonged. As a deputationist has no right to remain on the post of deputation, as such, the petitioners cannot make any grievance of return of their services to the parent department. It has furher been contended in the said counter-affidavit that the petitioners' services were never absorbed in the University, as no post of non-teaching staff had been sanctioned by the State Government for the University till now. Regarding the decision of the syndicate for absorption of the services of the petitioners, it is contended that the same was subject to the sanction of the posts by the State Government. As the State Government has not sanctioned any post, the question of their absorption in the University cadre did not arise.

It has further been contended that as about 88 employees of the Magadh University, the parent Univesrsity before creation of the new University, have been apportioned to the newly created University vide letter No.G.I.B/5231/93 dated 24.7.99 after joining of the aforesaid apportioned employees of the Magadh University, the services of the employees on deputation from the colleges and the departments were found to be surplus and they were repatriated to the parent department. With regard to the impugned order, as contained in Annexure-10, it is contended that the Chancellor of the Veer Kunwar